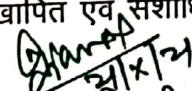


अंचल कार्यालय महेशपुर।
राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-238/16-17
(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(ह)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	-: आदेश :- इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जाँच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-लखीपुर थाना संख्या-274 खाता संख्या-153 दाग संख्या-213 रकबा-03 बीघा 18 कटठा 13 धूर भूमि विगत सर्वे खतियान में किस्म-अनाबादी पोखर है एवं उक्त दाग संख्या-213 रकबा-03 बीघा 18 कटठा 13 धूर भूमि की मौजा-लखीपुर के राजस्व पंजी-11 भाग संख्या-1 पेज संख्या-336 में एकराम मंडल के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी-11 की सम्यक् जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि की राजस्व पंजी-11 के भोत्यूम संख्या-1 पेज संख्या-336 में जमाबंदी कायम होने संदर्भित प्रविष्टि की कोई विवरणी/आधार साक्ष्य अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में रैयती दावा करने का कुप्रयास है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 746/रा0 दिनांक 09.08.2016 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में पंजी-11 रैयत के पोतागणों द्वारा दिनांक-22.08.2016 को दो अपठनीय भू-लगान रसीद संलग्न कर कारणपृच्छा समर्पित किया गया है वर्ष 2000 में अतिवृष्टि के कारण आए बाढ़ के कारण कायम जमाबंदी के समर्थन में मात्र दो भू-लगान रसीद प्राप्त हुआ है। पंजी-11 रैयत के वारिशानों द्वारा यद्यपि वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समयावधि की माँग की गई थी परन्तु आजतक विपक्षी के वंशजों के द्वारा तत्कालीन जमींदार अथवा जमींदारी विलयन के उपरान्त राज्य सरकार को भुगतैय वर्षवार भू-लगान रसीद की कोई प्रति न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। चूंकि यह भी स्थापित है कि भू-लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते हैं एवं यह किसी भूमि पर स्वत्व के दावे का कोई ठोस दस्तावेज के रूप में मान्य एवं स्वीकार्य नहीं है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी-11 के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉंची के पत्रांक-1704 दिनांक-15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित बिक्रयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् आदेश पारित करना है। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है। पंजी-11 रैयत के वारिशानों के द्वारा कायम जमाबंदी के समर्थन में किसी भी स्वत्व दस्तावेज का प्रस्तुत नहीं किए जाने से इस संभावना की पुष्टि भी होती है। अतः मौजा-लखीपुर थाना संख्या-274 खाता संख्या-153 दाग संख्या-213 रकबा-03 बीघा 18 कटठा 13 धूर भूमि किस्म-अनाबादी पोखर का विपक्षी-सह-पंजी-11 रैयत एकराम मंडल ग्राम-लखीपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी-11 के भाग संख्या-1 पेज संख्या-336 में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजे। लेखापित एवं संशोधित  अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर	